संख्या-455/26-ब0प्र0-2012-100(19)/2012

प्रेषक,

एन0एच0 रिजवी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

समाज कल्याण,बजट प्रकोष्ठ

लखनऊ दिनांक : 12 नवम्बर, 2012

विषय: निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के लिए टी0एस0पी0 (अनुसूचित जनजातियों) के लिए अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि रू0 6.59 लाख अवमुक्त किये जाने के सबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या-5/1041/2012-5/04/2012, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-2012-231/2012, दिनांक 09.07.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-81 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0-15.00 लाख में से राज्यॉश के मद में रु0-6.59 लाख (रुपया छः लाख उनसठ हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/ दस-2012-231/2012, दिनांक 09.07.2012 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपद वार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनैनशियल हैण्डबुक के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0/एस0टी0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जाएगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्राशं प्राप्त हो जाने पर भी राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा।

(5) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाऐं परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

2

(6) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

(7) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अनुदान (जिला योजना) भारत सरकार की सहायता राज्यांश-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) " के नामे डाला जाएगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007, दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशो द्वारा विनियमित होगी।

(11) आवंटिल धनराशि को कोषागार से आहरण की फेज़िग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।

(12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा।

2- आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3.-1331/दस-2012 दिनांक 08.11.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(एन0एच0 रिजवी)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
4- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
5- एन0आई0सी0 की प्रति।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/वित्त (बजट) अनु0-2।
7- बजट प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एच0 रिजवी)
उप सचिव।

प्रतिलिपि [illegible]

शासनादेश सं० 455 /26-4-पु0-2012-100(19)/2012 दि0 12 नवम्बर

का संलग्नक 1

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुसूचित जनजातियों हेतु राज्यांश का प्रस्ताव

अनुदान संख्या–81

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष वांछित राज्यांश की धनराशि
1	2	3
1	मेरठ	0.00
2	बागपत	0.00
3	गाजियाबाद	0.00
4	गौतमबुद्धनगर	0.00
5	बुलन्दशहर	0.00
6	सहारनपुर	0.00
7	मुजफ्फरनगर	0.00
8	आगरा	0.02
9	अलीगढ़	0.00
10	हाथरस	~~6.23~~ 5.39 ✓
11	एटा	0.00
12	मैनपुरी	0.00
13	मथुरा	0.02
14	फिरोजाबाद	0.00
15	कांशीरामनगर	0.00
16	बरेली	0.00
17	बदायू	0.00
18	पीलीभीत	0.03
19	शाहजहानपुर	0.00
20	मुरादाबाद	0.00
21	ज्योतिबाफूलेनगर	0.00
22	रामपुर	0.01
23	बिजनौर	0.00
24	लखनऊ	0.00
25	रायबरेली	0.07
26	हरदोई	0.00
27	उन्नाव	0.00
28	सीतापुर	0.01
29	लखीमपुर खीरी	0.03
30	फैजाबाद	0.00
31	अम्बेडकर नगर	0.00
32	सुल्तानपुर	0.00
33	बाराबंकी	0.00
34	गोण्डा	0.00

क्र.सं.	जनपद का नाम	अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष वांछित राज्यांश की धनराशि
1	2	3
35	बलरामपुर	0.00
36	बहराइच	~~0.82~~ 0.75
37	श्रावस्ती	0.00
38	इलाहाबाद	0.04
39	कौशाम्बी	0.00
40	फतेहपुर	0.02
41	प्रतापगढ़	0.00
42	वाराणसी	0.00
43	चन्दौली	0.00
44	गाजीपुर	0.00
45	जौनपुर	0.01
46	मिर्जापुर	0.03
47	सोनभद्र	0.00
48	संतरविदासनगर	0.01
49	हमीरपुर	0.00
50	बांदा	0.00
51	चित्रकूट	0.00
52	महोबा	0.00
53	गोरखपुर	0.01
54	महाराज गंज	0.00
55	देवरिया	0.03
56	कुशीनगर	0.03
57	बस्ती	0.02
58	सन्त कबीर न0	0.00
59	सिद्धार्थ नगर	0.00
60	आजमगढ़	0.02
61	मऊ	0.02
62	बलिया	0.00
63	कानपुर नगर	0.02
64	रमाबाई नगर	0.00
65	फर्रूखाबाद	0.00
66	कन्नौज	0.00
67	इटावा	0.00
68	औरैया	0.00
69	झांसी	0.00
70	ललितपुर	0.00
71	जालौन	0.00
	प्रदेश का योग—	~~7.50~~ 6.59

([illegible]) (एन॰ एच॰ रिज़वी)